

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आदित्य कुमार यादव

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10739

25 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता द्वारा एस.टी.ई.टी. 2019 परीक्षा में अपने परिणाम को “अयोग्य” बताने को चुनौती देना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

स्कूल कानून—परीक्षा—सामान्यीकरण प्रक्रिया का अनुप्रयोग—विज्ञापन में एक विशिष्ट खंड कि कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, बोर्ड ने उत्तर-पुस्तिकाओं की नकारात्मक अंकन प्रक्रिया अपनाई है—याचिकाकर्ता ने गलत प्रश्नों के लिए अनुग्रह अंकों का लाभ मांगा—बोर्ड ने कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया है और सामान्यीकरण प्रक्रिया के अनुप्रयोग के कारण याचिकाकर्ता को अर्हक अंकों से कम अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णय: न्यायालय ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12582/2021 में यह माना कि अनुग्रह अंक प्रदान करना बोर्ड का एक नीतिगत निर्णय है, जो रिट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई कानूनी अधिकार न हो—यह मामला बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया है कि वह भविष्य में उचित निर्णय ले—रिट आवेदन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाया गया। (पैराग्राफ 3, 7 से 11)

न्याय दृष्टान्त

शंभू शरण मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12582/20
—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

स्कूल कानून

मुख्य शब्दों की सूची

सामान्यीकरण प्रक्रिया का अनुप्रयोग, अनुग्रह अंक, परिणाम, नकारात्मक अंकन, आनुपातिक मूल्यांकन।

प्रकरण से उत्पन्न

एस.टी.ई.टी. 2019 परीक्षा के परिणाम से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: सुश्री रितिका रानी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री मदनजीत कुमार, जी. पी.-20।

बी.एस.ई.बी. की ओर से: श्री अजय बिहारी सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री उपेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10739

=====

आदित्य कुमार यादव, पिता - भोगेंद्र महात्मन, निवासी-ग्राम- पिपराही, थाना- लौकहा,
डाक-चतुर्भुज, जिला-मधुबनी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य;मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार सरकार, पटना ।
2. बिहार राज्य; प्रधान सचिव के माध्यम से, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्रीमती रितिका रानी, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री मदनजीत कुमार, जी. पी.-20
बी.एस.ई.बी के लिए : श्री अजय बिहारी सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री उपेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक आदेश

5 25-08-2023 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (आगे

'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए इस अदालत का रुख किया है:-

“क. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, एसटीईटी परीक्षा के रूप में संदर्भित 2019 के याचिकाकर्ता के परिणाम को रद्द करने के लिए, विज्ञापन संख्या. पी.आर/373/2019 के खिलाफ 15.09.2020 को आयोजित, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर 12.03.2021 को अपलोड किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 5** में निहित है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को 44.81% अंक प्राप्त करने के बाद भी "अयोग्य" घोषित किया गया है, जो राउंड ऑफ के सिद्धांत के अनुसार 45 प्रतिशत के बराबर है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता ने बीसी की श्रेणी में सफल घोषित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कट ऑफ प्रतिशत प्राप्त किया है, अर्थात् 45 प्रतिशत।

ख. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (जिसे आगे बीएसईबी कहा जाएगा) को निर्देश दिया जाता है कि वह विज्ञापन संख्या पी. आर./373/2019 के अंतर्गत एस. टी. इ. टी. परीक्षा में अन्य सफल अभ्यर्थियों की तरह याचिकाकर्ता का परिणाम प्रकाशित करे। सामाजिक विज्ञान विषय में पूर्णांकन के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सामाजिक विज्ञान विषय में पूर्णांकन के सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंकों के 0.50 से कम अंक प्राप्त किए हैं।

ग. साथ ही, प्रतिवादियों को विज्ञापन संख्या पी.आर/373/2019 के अनुसार, अनुलग्नक 1 में दिए गए एस. टी. इ. टी. परीक्षा, 2019 के सामाजिक विज्ञान विषय में याचिकाकर्ता के परिणाम को संशोधित करने और प्रकाशित

करने का आदेश देने के लिए, जिसमें याचिकाकर्ता को 3 अंक दिए गए हैं, मुख्यतः इस कारण से कि एस. टी. इ. टी. बोर्ड द्वारा तीन गलत प्रश्न तैयार किए गए थे और उन प्रश्नों के लिए भी अंक दिए गए हैं जिनके तहत याचिकाकर्ता को 15.09.2020 को आयोजित एस. टी. इ. टी. परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में नकारात्मक अंक दिए गए थे।

घ. उत्तरदाताओं को तीन गलत प्रश्नों सं. 42, 48 और 50 शिक्षाशास्त्र और कौशल के तहत सामाजिक विज्ञान के विषय में समिति द्वारा तैयार किया गया था, के विरुद्ध तीन अंक देने का आदेश देने के लिए, जो की एसटीईटी की परीक्षा विज्ञापन सं. पीआर/373/2019 के विरुद्ध 15.09.2020 को पहली पाली में आयोजित किया गया था।

ङ. विज्ञापन संख्या पीआर/373/2019 के विरुद्ध एसटीईटी की परीक्षा 15.09.2020 को आयोजित सामाजिक विज्ञान विषय में बोर्ड द्वारा बनाए गए तीन गलत प्रश्नों पर विचार करते हुए उत्तरदाताओं को योग्यता अंकों को तीन अंकों से कम करने का आदेश देने के लिए।

च. विज्ञापन संख्या 373/2019 के खंड 5 के अनुसार एसटीईटी, 2019 परीक्षा में नकारात्मक अंक देने का आयोजन और घोषणा करना जैसा कि अनुलग्नक 1 में निहित है, मुख्य रूप से इस कारण से अमान्य, अवैध और मनमाना है कि विज्ञापन नकारात्मक अंक देने का संकेत नहीं देता है।

छ. विज्ञापन सं. पीआर/373/2019 के विरुद्ध एसटीईटी परीक्षा 15.09.2020 को आयोजित, में याचिकाकर्ता को दिए गए नकारात्मक अंकों को घटाने के बाद सामाजिक विज्ञान विषय में याचिकाकर्ता को सफल उम्मीदवार घोषित करने के लिए भी।

ज. आवश्यक राहत आदेश/निर्देश के लिए भी जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून की नजर में और साथ ही मामले के तथ्यों पर भी हकदार है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री रितिका रानी ने शुरू में कहा कि विज्ञापन में एक विशिष्ट खंड होने के बावजूद कि कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, समिति ने उत्तर पुस्तिकाओं को नकारात्मक अंकन में शामिल किया है, हालांकि, इस तर्क को बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय बिहारी सिन्हा ने तुरंत चुनौती दी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि बोर्ड ने कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया है और वास्तव में याचिकाकर्ता ने सामान्यीकरण प्रक्रिया के आवेदन के कारण योग्यता अंकों से कम अंक प्राप्त किए।

4. जवाबी हलफनामे के कंडिका '15' का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता कुल 150 में से 88 अंक प्राप्त करने का दावा करता है, लेकिन सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू होने के बाद उसे पिछड़े वर्ग श्रेणी में 45 से कम अंक मिले, इसलिए वह अयोग्य घोषित कर दिया गया।

5. इस न्यायालय ने 2021 के सीडब्ल्यूजेसी सं .12582 (शंभू शरण मंडल बनाम बिहार राज्य और अन्य) में पाया कि, इस न्यायालय ने समान मामले पर विचार किया है और निम्नलिखित विचार लिए हैं:-

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के साथ-साथ अभिलेखों के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-बोर्ड ने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता ने 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उसे योग्य घोषित नहीं किया गया है। कुछ परीक्षाओं में अनुमत अनुग्रह अंकों के संदर्भ में याचिकाकर्ता की शिकायत उसके लिए यह याचिका दायर करने का आधार नहीं होगा कि यह न्यायालय

प्रत्यर्थियों को अनुग्रह अंक देने की ऐसी नीति को जारी रखने का निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी कर सकता है।

इस न्यायालय की राय में, यह संस्थान/समिति के अधिकार क्षेत्र में है कि वे केवल उन परिस्थितियों के आधार पर ऐसे नीतिगत निर्णय लें जो उनकी राय में इस तरह के निर्णय की मांग करती हैं। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि उसके पास कोई कानूनी अधिकार है जिसके तहत प्रतिवादी को अनुग्रह अंक देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, यह न्यायालय परमादेश जारी करने से परहेज करेगा।"

6. इस न्यायालय द्वारा 2021 के सीडब्ल्यूजेसी सं.12582 में पारित अपने आदेश में प्रदान किया गया तर्क और औचित्य वर्तमान मामले के तथ्यों में समान रूप से लागू होगा।

7. इससे पहले कि यह न्यायालय इस आदेश को समाप्त करे, यह उल्लेखनीय है कि उसकी प्रस्तुतियों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2014 के सीडब्ल्यूजेसी सं. 21945 और अन्य समान मामलों से उत्पन्न 2015 के एलपीए सं.1287 में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय की एक प्रति रखी है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि माननीय खंडपीठ के फैसले को पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त मामले के तथ्यों में जहां समिति विशेषज्ञ सुझाव के आधार पर प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए एक अंक दे रहा था, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा था कि समिति को गलत प्रश्नों को हटाकर उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विचार को माननीय खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय का एक निर्णय होने के बावजूद यह विचार रखते हुए कि समिति द्वारा उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना चाहिए गलत प्रश्नों को हटाकर, समिति उक्त निर्णय का पालन नहीं कर रहा है, इसके

बजाय एक अलग तरीका अपनाया जा रहा है और यह न केवल उम्मीदवारों के बीच असंतोष को जन्म दे रहा है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष कई मुकदमे भी हो रहे हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि स्वीकार किया कि उक्त रिट आवेदन में भले ही माननीय खंड पीठ ने इस तरह के प्रश्नों को हटाने और शेष प्रश्नों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की पहले की प्रथा पर ध्यान दिया है, लेकिन अदालत ने उक्त प्रक्रिया की वैधानिकता या वैधता पर ध्यान नहीं दिया था, इसका कारण यह हो सकता है कि यह अदालत के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था, हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड की ओर से एकमात्र प्रामाणिक दृष्टिकोण यह होता कि उक्त निर्णय को सभी परीक्षाओं में लागू किया जाता है, जहां यह पाया गया है कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न गलत थे, जो गलत बनाए गए थे।

9. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में मुकदमों से बचने के लिए बल पाता है कि, यह चीजों की योग्यता में होता यदि समिति 2015 के एल. पी. ए. सं.1287 में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप आगे बढ़ता। यहां तक कि समिति के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को भी माननीय खंडपीठ के फैसले का पालन नहीं करने में बोर्ड की ओर से प्रस्थान को उचित ठहराने का कारण नहीं मिलता है।

10. इस मामले को समिति के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए ताकि भविष्य में इस न्यायालय के माननीय खंडपीठ के फैसले के संदर्भ में उचित विचार किया जा सके।

11. इस रिट आवेदन का निपटारा उपरोक्त अवलोकन और निर्देशानुसार किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।